सरदारी और अन्य

बनाम

सुशील कुमार और अन्य

(सिविल अपील सं. 1733/2008)

मार्च 4, 2008

[एस. बी. सिन्हा और वी. एस. सिरपुरकर, जे. जे.]

मोटर वाहन अधिनियम, 1939- मोटर दुर्घटना- मृत्यु कारित- उल्लंघन करने वाले वाहन का चालक के पास स्वीकृत तौर पर चालक लाईसेंस नहीं- क्षतिपूर्ति- भुगतान करने की देयता- आदेश: क्षतिपूर्ति भुगतान का दायित्व बीमा कंपनी पर नहीं है क्योंकि आरोपित वाहन के चालक के पास लाइसेंस नहीं था- हालांकि, वाहन के चालक और मालिक जिम्मेदार हैं।

याचिकाकर्ताओं ने ट्रैक्टर के साथ दुर्घटना में हुई मृत्यु के मुआवजे के लिए आवेदन मोटर वाहन अधिनियम, 1939 के तहत दायर किया । बीमा कंपनी ने तर्क दिया कि मुआवजे का भुगतान करने के लिए वह उत्तरदायी नहीं क्याेंकि चालक के पास लाइसेंस नहीं था। चालक ने बयान/प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि उसने पास लाइसेंस नहीं था। मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण क्षतिपूर्ति देने से इनकार कर दिया। उच्च

न्यायालय ने कहा कि दावेदार को मुआवजे के लिए मालिक और वाहन चालक उत्तरदायी थे और बीमा कंपनी नहीं । इसलिए यह अपील।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया,

1.1 हालांकि, एक बीमा अनुबंध के संदर्भ में, जो उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए निजी कानून के दायरे में है जिसके लिए धारा 147 और 149 मोटर वाहन अधिनियम का अधिनियमन किया गया था, भारत के संविधान की प्रस्तावना में परिकल्पित सामाजिक न्याय सिद्धांत को उचित महत्व दिया गया है। हालाँकि, अधिनियम स्वयं उन मामलों के लिए प्रावधान करता है जहाँ बीमा कंपनी अपने दायित्व से बच सकती है। दायित्व से ऐसा बचाव काफी हद तक बीमा अनुबंध के उल्लंघन पर निर्भर करेगा। जहां अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन रिकॉर्ड से प्रथम दृष्टया स्पष्ट है, वहां न्यायालय बीमा कंपनी पर दायित्व नहीं डालेगा। लेकिन कुछ स्थितियों में, न्यायालय मालिक पर दायित्व निर्धारित करते हुए वाहन बीमा कंपनी को दावेदार को अधिनिर्णीत राशि भुगतान करने का निर्देश दे सकता है जिसकी वसूली मालिक से करने को बीमा कंपनी स्वतंत्रता हाेगा। [पैरा 6] [932-ई, एफ, जी; 933-ए]

1.2 वर्तमान मामले में तथ्य का एक सामान निष्कर्ष यह है कि वाहन चालक के पास कभी लाइसेंस नहीं था। वाहन के मालिक का यह वैधानिक दायित्व है कि वह यह देखे कि जिस वाहन चालक को उसने

वाहन चलाने के लिए अधिकृत किया है, उसके पास वैध लाइसेंस है। [पैरा 7] [933-ए, बी]

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम ज्ञान चंद और अन्य 1997 (7) एस.सी.सी. 558; राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम स्वरन सिंह और अन्य 2004 (3) एस.सी.सी. 297; राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम कुसुम राय और अन्य 2006 (4) एस.सी.सी. 250; नया भारत बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रभु लाल जे टी 2007 (13) एस.सी. 246; प्रेमकुमारी और अन्य बनाम प्रहलाद देव और अन्य 2008 (1) स्केल 531 - पर निर्भर।

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम पृथ्वी राज 2008 (1) स्केल 727; ईश्वर चंद्र और अन्य बनाम द ओरिएंटल बीमा कंपनी लिमिटेड और अन्य 2007 (4) स्केल 292-उल्लेखित।

सिविल अपील क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 1733/2008।

अंतिम निर्णय और आदेश दिनांकित 10/4/2003 पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ का एफ.ए.ओ. नं. 737/1986 में से।

शालू शर्मा अपीलार्थियों के लिए।

एम के दुआ, किशोर रावत और शिवाजी एम जाधव प्रत्यर्थीगण के लिए।

न्यायालय का निर्णय एस. बी. सिन्हा, न्यायाधिपति, द्वारा दिया गया था-

अनुमति दी गई।

1. जगीरू एक टोंगा चालक था। जब, 10.2.1985 को वह अपना टोंगा चला रहा था, वह एक दुर्घटना का शिकार हो गया, क्योंकि यह एक ट्रैक्टर से टकरा गया था जिसका पंजीकरण सं एच.वाई.सी. 173 था। उक्त दुर्घटना में, उसके कोई चोट लगी और अंततः 15.2.1985 को उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय उनकी आयु 40 वर्ष थी।

मुआवजे के भुगतान के लिए अपीलकर्ताओं द्वारा आवेदन मोटर वाहन अधिनियम, 1939 (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 110-ए के संदर्भ में दायर किया गया था। उत्तरदाता बीमा कंपनी द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ इसमें एक विवाद उठाया गया कि उक्त ट्रैक्टर के चालक के पास वैध और प्रभावी लाइसेंस नहीं था।

2. मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण (अधिकरण) के समक्ष उक्त ट्रैक्टर के चालक, सुशील कुमार परीक्षित हुआ। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें नहीं पता था कि कैसे ट्रैक्टर चलाते हैं और उन्होंने कभी ट्रैक्टर चलाना सीखने की कोशिश भी नहीं की। उन्होंने स्वीकार किया कि उनके पास ट्रैक्टर चलाने के लिए कोई वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं थी। यह स्वीकार किया गया कि उन्होंने कभी इसके लिए आवेदन भी नहीं किया

था। उन्होंने प्रतिपरीक्षा में पूछे एक सवाल के जवाब में यह भी स्वीकार किया कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था।

विद्वान अधिकरण ने सुसंगत मुद्दे का जवाब निम्नलिखित तौर पर दिया:-

"15. प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उसके पास कथित दुर्घटना के समय ट्रैक्टर चलाने के लिए कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और वास्तव में उसके पास कभी कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रहा था। चूँकि प्रत्यर्थी संख्या 1 के पास ट्रैक्टर चलाने के लिए कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, इसलिए पॉलिसी की प्रति आर1 में निहित शर्तों को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थी संख्या 3 किसी भी मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। तदनुसार, इस मुद्दे का निर्णय प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में व याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लिया जाता है।"

3. मामले को दृष्टिकोण में रखते हुए मुआवजे के लिए आवेदन को खारिज कर दिया गया। अपीलार्थियों द्वारा इसके विरुद्ध दायर एक अपील को भी उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। हालाँकि, उच्च न्यायालय की राय थी कि अधिकरण का निष्कर्ष कि सुशील कुमार की लापरवाही व उपेक्षा के कारण कोई दुर्घटना नहीं हुई को सही नहीं मानते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी सं। 1 और 2 से 63,000 रुपये के मुआवजे के हकदार थे।

4. इसलिए, अपीलकर्ता हमारे सामने हैं।

अपीलार्थियों की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ है।

5. प्रश्न, उस उद्देश्य और लक्ष्य के संबंध में जिसके लिए अधिनियम पारित किया गया था और साथ ही वाहन के मालिक के वैधानिक दायित्वों के संबंध में भी कि वह वाहन का अनिवार्य रूप से बीमा करवाए कई मामलों में विचार के लिए आया है।

इस न्यायालय ने बार-बार ऐसे मामलों के बीच अंतर किया जहाँ तीसरा पक्ष शामिल था और जहाँ का वाहन मालिक दुर्घटना में शामिल था। अधिनियम में अनुज्ञप्ति प्रदान करने के बारे में बताया गया है। इसमें प्रावधान हैं जिसके अन्तर्गत लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बावजूद, उसका नवीनीकरण कराया जा सकता है। कुछ स्थितियों में, अधिकारीगण लाइसेंस के नवीनीकरण से इनकार करने का अधिकार रखते हैं।

6. हालांकि, एक बीमा अनुबंध के संदर्भ में, जो उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए निजी कानून के दायरे में है जिसके लिए धारा 147 और 149 मोटर वाहन अधिनियम पारित किया गया था, भारत के संविधान की प्रस्तावना में परिकल्पित सामाजिक न्याय सिद्धांत को उचित महत्व दिया गया है। हालाँकि, अधिनियम स्वयं उन मामलों के लिए प्रावधान करता है जहाँ बीमा कंपनी अपने दायित्व से बच सकती है। दायित्व से ऐसा बचाव काफी हद तक बीमा अनुबंध के उल्लंघन पर निर्भर करेगा। जहां अनुबंध

की शर्तों का उल्लंघन रिकॉर्ड से प्रथम दृष्टया स्पष्ट है, वहां न्यायालय बीमा कंपनी पर दायित्व नहीं डालेगा। लेकिन कुछ स्थितियों में, न्यायालय मालिक पर दायित्व निर्धारित करते हुए वाहन बीमा कंपनी को दावेदार को अधिनिर्णीत राशि भुगतान करने का निर्देश दे सकता है जिसकी वसूली मालिक से करने को बीमा कंपनी स्वतंत्रता हाेगा।

7. वर्तमान मामले में तथ्य का एक समान निष्कर्ष यह है कि सुशील कुमार के पास कभी लाइसेंस नहीं था। वाहन के मालिक का यह वैधानिक दायित्व है कि वह यह देखे कि जिस वाहन चालक को उसने वाहन चलाने के लिए अधिकृत किया है, उसके पास वैध लाइसेंस है। यहाँ फिर से, एक स्पष्ट अंतर देखा जा सकता है, अर्थात जहाँ लाइसेंस नकली है और जहां लाइसेंस की अवधि समाप्त हो गई है, हालांकि शुरू में जब चालक नियुक्त किया गया था, उसके पास एक वैध लाइसेंस था।

यह प्रश्न इस न्यायालय के समक्ष यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम ज्ञान चंद और अन्य [(1997) 7 एस.सी.सी.558], में विचार के लिए आया था जिसमें यह निर्णीत किया गया था;

> "12. इन परिस्थितियों में, जब बीमाकृत ने वाहन को बिना लाइसेंस वाले ड्राइवर को चलाने के लिए दिया हो तब बीमा कंपनी किसी तीसरे पक्ष के दावों को पूरा करने के लिए दायित्व से मुक्त हो जाती है जब ऐसा पक्ष ऐसे बिना

लाइसेंस के ड्राइवर द्वारा कारित दुर्घटना के कारण पीड़ित होता है...."

इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम स्वर्ण सिंह और अन्य [(2004) 3 एस.सी.सी. 297], में अधिनियम के प्रावधानों को देखने के साथ-साथ क्षेत्र की पूर्व मिसालो को देखते हुए, निम्नलिखित निर्देश निर्धारित किए हैं;

"84. हमने अधिनियम के सुसंगत प्रावधानम का अवलोकन कर लिया है जिसके तहत एक मोटर वाहन को ड्राइविंग लाइसेंस वाले व्यक्ति द्वारा चलाया जाना चाहिए। एक मोटर वाहन का मालिक अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत जिम्मेदारी है कि वह यह देखे कि कोई भी वाहन ऐसे व्यक्ति के अलावा नहीं चलाया जाता है जो अधिनियम की धारा 3 या 4 के प्रावधानों को संतुष्ट नहीं करता हो। ऐसे मामले में, जहां वाहन का चालक, स्वीकृत रूप से, कोई लाइसेंस नहीं रखता हो और ऐसे व्यक्ति को वाहन मालिक द्वारा सचेत रूप से वाहन संचालित करने की अनुमति दी जाती है, तब बीमाकर्ता अपने बचाव में सफल होने और दायित्व से बचने का हकदार है। हालाँकि, मामला अलग हो सकता है जहाँ तथ्य का एक विवादित प्रश्न उत्पन्न होता है

कि क्या चालक के पास वैध लाइसेंस था या वाहन मालिक द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के साथ-साथ बीमा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन कर किसी ऐसे व्यक्ति को सचेत रूप से वाहन चलाने की अनुमति दी जिसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। एक मामले में, हो सकता है कि वाहन के चालक का इसमें कोई हाथ न हो। उदाहरण के तौर पर ऐसा मामला जिसमें दुर्घटना का कारण मैकेनिकल फॉल्ट या विस मेजर हो। (देखें जितेंद्र कुमार 22)"

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड में बनाम कुसुम राय और अन्य [(2006) 4 एस.सी.सी. 250] में इस न्यायालय की एक पीठ (जिसमें हम में से एक सदस्य था) द्वारा अभिनिर्णित किया कि;

"11. यह हमारे सामने विवादित नहीं है कि वाहन का टैक्सी के रूप में उपयोग किया जा रहा था। इसलिए यह एक वाणिज्यिक वाहन था। अतः उक्त वाहन के चालक लिए एक उपयुक्त लाइसेंस रखने की आवश्यकता थी। राम लाल जो कथित तौर पर संबंधित समय पर उक्त वाहन चला रहा था, जैसा कि यहाँ पहले देखा गया है, केवल हल्के मोटर वाहन चलाने का लाइसेंस धारक था। उसके पास कोई वाणिज्यिक वाहन चलाने का लाइसेंस नहीं था।

जाहिर है, इसलिए, वहाँ बीमा अनुबंध की शर्त का उल्लंघन था। इसलिए, अपीलार्थी उक्त बचाव को उठा सकता था।

14. इस न्यायालय ने स्वर्ण सिंह के मामले में स्पष्ट रूप से कहा कि मालिक की तुलना में बीमा कंपनी का दायित्व कई कारकों पर निर्भर करेगा। मालिक ऐसे मामले में मुआवजे के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा जहां चालक के पास लाइसेंस ही नहीं था। यह दायित्व मालिक का था कि वह पर्याप्त ध्यान रख यह देखे कि चालक के पास वाहन चलाने के लिए उचित लाइसेंस था।"

चालक के पास वैध लाइसेंस नहीं होने पर मालिक के दायित्व के प्रश्न पर स्वर्ण सिंह (ऊपर) में पैरा 89 में भी विचार किया गया है।

8. फिर भी न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रभु लाल [जे.टी. 2007 (13) एस.सी. 246], में न्यायालय ने कानून का उल्लेख निम्नलिखित रूप से किया हैः-

"33. वर्तमान मामले में, सभी तथ्य जिला फोरम के समक्ष थे। इसने शिकायतकर्ता के दावे और बीमा कंपनी के बचाव पर विचार सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्य को मध्येनजर रखते हुए कर यह माना कि वह वाहन जो दुर्घटना का शिकार हुआ एक 'परिवहन वाहन' था। राम नारायण के

पास केवल हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए लाइसेंस था और उस पर कोई इंद्राज नहीं था जो अधिनियम की धारा 3 सपठित नियमों के नियम 16 और प्रपत्र संख्या 6 के अन्तर्गत आवश्यक हो । अभिलेख पर आवश्यक दस्तावेज को ध्यान में रखते हुए बीमा कंपनी यह कहना सही था कि अशोक गंगाधर इस मामलें में लागू नहीं होता और बीमा कंपनी उत्तरदायी नहीं थी।"

हालाँकि, इस न्यायालय द्वारा कुछ मामलों में स्वर्ण सिंह (उपर्युक्त) से भिन्न बताते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां का मालिक स्वयं इसमें शामिल हैं, तो बीमा कंपनी उत्तरदायी नहीं होगी।

प्रेमकुमारी और अन्य बनाम प्रह्लाद देव और अन्य [(2008) 1 स्केल 531], में कुसुम राय (उपर्युक्त) का अनुसरण कर इस न्यायालय की पीठ ने यह माना है कि-

"10. राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम कुसुम राय और अन्य (2006) 4 एस.सी.सी. 250, में वाहन टैक्सी के रूप में उपयोग किया गया था। इसलिए वह एक वाणिज्यिक वाहन था। इसलिए उक्त वाहन के चालक को उपयुक्त लाइसेंस रखना आवश्यक था। राम लाल, जो कथित तौर पर सुसंगत समय पर उक्त वाहन चलाना था, केवल हल्के

मोटर वाहन चलाने का लाइसेंस धारक था। उसके पास वाणिज्यिक वाहन चलाने के लिए कोई भी लाइसेंस नहीं था। इसलिए, बीमा अनुबंध की शर्त का उल्लंघन हुआ था। ऐसी परिस्थितियों में, न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ता-राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड, उक्त बचाव को उठा सकता है जो न्यायालय ने उसके बचाव पर विचार करते हुए कहा। न्यायालय द्वारा स्वर्ण सिंह (ऊपर) में दिए कानून का हवाला देते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि वाहन का मालिक यह तर्क नहीं दे सकता है कि उसका कोई दायित्व इस तथ्य को सत्यापित करने के लिए नहीं है कि क्या वाहन का चालक के पास वैध लाइसेंस था या नहीं। लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वाहन मालिक उपस्थित नहीं हुआ है, पीड़ित केवल 12 वर्ष की आयु का था, दावेदार गरीब वर्ग से है और मुकदमेबाजी के एक और दौर से बचने के लिए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नंजप्पन (2004) 13 एस. सी. सी. 224 निर्णय को लागू कर और यह पाते हुए कि हालांकि अपीलार्थी-बीमा कंपनी दावा की गई राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं थी क्योंकि चालक के पास कोई वैध लाइसेंस नहीं था और उच्च न्यायालय ने एक त्रुटि की अन्यथा निर्णय

करके, मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में और संविधान के अनुच्छेद 136 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रश्नगत निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और अपील करने वाली बीमा कंपनी को मालिक से राशि की वसूली की अनुमति दे दी।"

हालांकि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम पृथ्वी राज [2008] (1) स्केल 727], में स्वर्ण सिंह (ऊपर) को देखते हुए, यह राय दी;

"10. इस मामले में, राज्य आयोग ने स्पष्ट रूप से पाया है कि अभिलेख पर साक्ष्य स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि लाइसेंस प्राधिकरण ने कोई लाइसेंस जारी नहीं किया था, जैसा कि चालक और प्रतिवादी द्वारा दावा किया गया था। श्री ए.वी.वी. राजन, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय जेटी. आयुक्त और सचिव, हैदराबाद की साक्ष्य जिन्होंने आधिकारिक रिकॉर्ड प्रस्तुत कर स्पष्ट रूप से स्थापित किया कि श्री रविन्द्र सिंह को कोई भी कानूनी रूप से लाइसेंस मोटर वाहन चलाने के लिए जारी नहीं किया गया था। उक्त गवाह की प्रतिपरीक्षा नहीं हुई थी। राष्ट्रीय आयोग ने यह भी पाया कि राज्य आयोग द्वारा इस संबंध में अभिलिखित निष्कर्ष में कोई त्रुटि नहीं थी।"

ईश्वर चंद्र और अन्य बनाम ओरिएंटल बीमा कंपनी अन्य [2007(4) स्केल 292] में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया;

> 9. उक्त प्रावधान के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम के अनुसार लाइसेंस का नवीनीकरण किया गया है। अधिनियम की धारा 15 (1) के परंतुक में बिना किसी अनिश्चितता के कहा गया है कि जब दिया गया मूल लाइसेंस समाप्ति के बावजूद समाप्ति तारीख से 30 दिनों की अवधि के लिए वैध रहता है यदि उसके नवीकरण के लिए कोई आवेदन दायर किया जाता है तो वह नवीनीकरण की तारीख से उसका नवीनीकरण किया जाएगा। दुर्घटना 28.04.1995 हुई। उक्त तिथि पर, नवीकरण आवेदन दाखिल नहीं किया गया था, चालक के पास उस तारीख को वैध लाइसेंस नहीं था जब वाहन दुर्घटना का शिकार हो गया।"

9. उपरोक्त कारणों से, इस अपील में कोई योग्यता नहीं है जो तदनुसार खारिज की जाती है। लेकिन मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

के.टी.टी.

याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी प्रवीण शंकर (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।